

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय  
त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस),  
आई.आई.सी.ए. बिल्डिंग, 7<sup>वीं</sup> मंज़िल,  
प्लॉट P-6,7,8, से.-5, आई.एम्.टी. मानेसर,  
गुडगाँव, हरियाणा - 122050.  
Email: roc.cpace@mca.gov.in



Government of India  
Ministry of Corporate Affairs  
Centre for Processing Accelerated  
Corporate Exit (C-PACE)  
IICA Building, 7<sup>th</sup> Floor,  
Plot P-6,7,8, Sector-5, IMT Manesar,  
Gurgaon, Haryana - 122050.  
Email: roc.cpace@mca.gov.in

### प्रारूप संख्या एसटीके-6

#### सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/579

दिनांक: -16/07/2024

#### संदर्भ:

1.कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (6) कम्पनियों का नाम **तेलंगाना** राज्य से हटाने के मामले में:

S No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AA9201127	U47912TS2023OPC177071	ब्लूहब डिजिटल एक्सपीरियंस (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
2	AA8639599	U70109TG2018PTC121926	ओएसएच हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AA8589934	U62099TS2023FTC172521	क्रेसिडो एनालिटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4	AA9157876	U31900TG2021PTC150964	नोवावोल्टिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
5	AA9128858	U72500TG2019PTC134746	सम्प्रीति सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
6	AA8345965	U93090TG2006PTC052167	चाला लीगल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है ।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं ।

हरिहर साहू  
रजिस्ट्रार  
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

CBC 07123/11/0290/2425